



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 593 राँची, बुधवार,

1 दिसम्बर, 2021 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

26 नवंबर, 2021

संख्या--ख०नि०(विधि)-136/2017-2380—एम०, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P (C) No. 2013/2020, शाह ब्रदर्स-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-21.05.2021 के अनुपालन में सर्वश्री शाह ब्रदर्स, चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत करमपदा रक्षित वन भूमि के 233.99 हे० क्षेत्र पर धारित लौह/मैंगनीज खनन पट्टे के बावत खनिज समनुदान नियमावली, 2016 के नियम-12(10) के तहत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा-26 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार को सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. उक्त सुनवाई के उपरांत गठित मंतव्य/प्रतिवेदन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर ही तत्संबंधी आदेश/पत्र को निर्गत किया जाएगा।

3. अतएव विभागीय आदेश संख्या-ख०नि०(विधि)-136/2017-1983/एम०, राँची, दिनांक-01.10.2021 को निरस्त किया जाता है।

4. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

हरि कुमार केशरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।